क्या हो आतंकवाद का स्थाई समाधान?

प्रो. एस.एल वर्मा

पिछले कई दशकों से विश्व के अनेक छोटे-बड़े देश आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं। इनके बहुत चाहने और प्रयास करने पर भी आतंकवाद का मिटना तो दूर रहा, उसने स्थानीय से विश्व रूप धारण कर लिया है। किंतु 11 सितंबर को वर्तमान में विश्व की सबसे बड़ी शक्ति संयुक्त राज्य अमरीका पर हुए भीषण आतंककारी आक्रमण के बाद उसे मिटाने के व्यापक प्रयास शुरू हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन से अमरीका के नेतृत्व वाले गठबंधन के द्वारा अफगानिस्तान में ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा एवं तालिबान के विरुद्ध सफल कार्रवाई करने के बाद भारत समेत सबको यह आशा बंध गई थी कि शायद अब आतंकवाद की समाप्ति का समय आ गया है। लेकिन 13 दिसंबर को भारत की संसद पर आतंकारियों ने आत्मघाती हमला कर दिया। विश्व-व्यापी आतंकवाद ने बता दिया कि वह मरा नहीं है। उसने नई दिशाएं खोज ली हैं। इससे सिद्ध होता है कि केवल सैनिक तौर-तरीकों से आतंकवाद मिटने वाला नहीं। हमें आतंकवाद की समस्या का स्थाई हल ढूंढना होगा।

'आतंकवाद' सप्रयोजन हत्या

अभी तक आतंकवाद को औपचारिक तौर पर परिभाषित नहीं किया गया है। यह मामला संयुक्त राष्ट्र के समक्ष अनेक सालों से पड़ा है। अमरीका ने अब तक इसका अर्थ ओसामा बिन लादेन, अल-कायदा के आतंककारी प्रशिक्षित शिविरों तथा इनको शरण

देने वाली तालिबान सरकार से ही लिया। अमरीकी राष्ट्रपति जार्ज बुश ने आतंकवाद को 'निर्दोष लोगों की हत्या' तथा आतंककारी को 'हत्यारा' बताया। लेकिन यह व्याख्या पर्याप्त नहीं। आतंकवाद किसी लक्ष्य, उद्देश्य, योजना, प्रतिशोध या भय के साथ की गई ऐसी हत्या है जिससे डरकर बाकी बचे हुए लोग, सरकार या राज्य हत्यारों की इच्छाओं या आज्ञाओं को मानने लगें। आतंकवाद के दो रूप हैं—बाहरी और भीतरी।

आतंकवाद के बाहरी रूप हिंसा, हत्या, तोड़-फोड़ आदि होते हैं। उसका भीतरी रूप है हिंसा या हत्या का विचार, उससे प्राप्त होने वाले लाभों की इच्छा। भीतरी आतंकवाद का पता हिंसापूर्ण कृत्यों अथवा बाहरी आतंकवाद के रूप में घटित होने पर ही चलता है। बाहरी आतंकवाद के उन्मूलन में आतंककारियों को मारा, पकड़ा और नियंत्रित किया जा सकता है किंतु आतंकवाद का विचार फिर भी बना रह सकता है। आतंकवाद का आंतरिक स्वरूप सूक्ष्म, वैचारिक तथा संवेगात्मक होता है। भीतरी आतंकवाद सैंकड़ों बाहरी आतंककारियों को पैदा कर सकता है।

आतंकवाद के स्वरूप को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण राज्य प्रायः आतंकवाद के बाह्य रूप में विकसित हो जाने पर ही कार्यवाही शुरू करते हैं। तब तक आतंककारी हिंसा करने में पूरी तरह प्रशिक्षित, सशस्त्र तथा सुनियोजित हो चुके होते हैं। रोग बढ़ जाने के बाद उपचार प्रारंभ होता है। कभी-कभी तो रोग उपचार से परे चला जाता है। इलाज से पहले रोग की रोकथाम नहीं हो पाती। अमरीका के नेतृत्व वाले गठबंधन की बम वर्षा आतंकवाद की खड़ी फसल पर हुई है न कि खाद, बीज, भूमि और बोने वाले किसानों पर। ऐसी दशा में गठबंधन भले ही आतंककारियों, उनके प्रशिक्षण शिविरों और शस्त्रागारों पर बम डालता रहे, आतंकवाद तो बना रहेगा। आतंककारियों का जगह या नाम बदल लेना अथवा भूमिगत या अदृश्य हो जाना उसका मिट जाना नहीं है। उसके निवारण के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।

विश्व-आतंकवाद को मिटाने के लिए संसार के सभी देशों में परस्पर सहयोग होना आवश्यक है। ऐसा तभी हो सकता है जब सभी प्रकार के आतंकवादों जैसे सुन्नी, शिया, कैथोलिक, फिलिस्तीनी, यहूदी, माओवादी, नक्सलवादी, उग्र राष्ट्रवादी आदि को सामने रखकर आतंकवाद की वस्तुपरक परिभाषा बनाई जाए। आतंकवाद धर्म, राजनीतिक, विचारधारा, प्रजाति, संस्कृति, इतिहास या अतीत किसी पर भी आधारित हो सकता है। इसकी सर्वमान्य परिभाषा में सभी प्रकार के आतंकवादों में पाए जाने वाले समान तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए।

धर्मनामी कट्टरता एवं आतंकवाद

भारत पिछले 15-20 वर्ष से सीमा-पार आतंकवाद से जूझता आया है। इस वजह से वह धार्मिक कट्टरता को अच्छी तरह समझता है। उसी से आतंकवाद जुड़ा हुआ है। किंतु विश्व समुदाय ऐसा नहीं मानता।

अमरीका-नीत गठबंधन का विरोध प्रमुखतः आतंकवाद से है। वह धार्मिक कट्टरता के प्रति तटस्थ है। भारतीय नेता अमरीका तथा यूरोपीय देशों को धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद के एक दूसरे पर आधारित होने को समझाने में असमर्थ रहे। अतएव सभी को यह समझना होगा कि धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद एक ही है। इस कट्टरता को मिटाए बिना आतंकवाद को समाप्त नहीं किया जा सकता। भारत में भी अनेक लोग धर्म को कट्टरता से अलग नहीं करते और दोनों को धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ देते हैं।

आतंकवाद का स्थाई समाधान ढूंढने की दिशा में हमें शब्दों के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। शब्द प्रयोग ऐसा हो कि धार्मिक कट्टरता एवं आतंकवाद को मिटाने का अर्थ धर्म को मिटाने से नहीं लिया जाए। प्रायः इन्हें मिला दिया जाता है जिससे धर्म की आड़ में धर्मनामी कट्टरता तथा उससे आतंकवाद पनपता है।

यह भी एक हकीकत है कि कुछ लोग उपदेशक, प्रशिक्षक, शिक्षक, काजी, मौलवी, पुरोहित, पुजारी, पादरी आदि का चोला पहनकर धर्म के मौलिक अर्थों एवं अभिप्राय को तोड़-मरोड़कर ईश्वर और अनुयायियों के बीच खड़े रहते हैं। ऐसे ही लोग धर्म की विषय सामग्री को गलत रूप में प्रस्तुत करते हैं। अतः ऐसे लोगों को भी सावधानीपूर्वक बेनकाब करना होगा।

आतंककारी तत्वों की खोज

आतंककारी तत्वों की खोज के लिए संयुक्त-राष्ट्र के द्वारा दो उच्च विशेषज्ञ-अध्येता मंडल बनाए जा सकते हैं। उनकी खोज या मूल्यांकन का आधार अध्यात्म या निजी आस्था न होकर

स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं व्यक्ति संबंधी मूल्य हों। प्रथम विशेषज्ञ-मंडल सभी सक्रिय धर्मों की पवित्र पुस्तकों, प्रमुख धार्मिक ग्रंथों एवं धर्म प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का अध्ययन करके यह पता लगाए कि वे उनमें वे वाक्य, अंश, प्रवचन, उपदेश, विवेचन, वर्णन आदि कौन से है जिन्हें उग्रवादी, कट्टरपंथी एवं आतंककारी अपनी गतिविधियों का आधार मानते या बनाते हैं। दूसरा विशेषज्ञ-मंडल कट्टरपंथियों, आतंकियों एवं आतंककारी संगठनों से संबंधित साहित्य, पुस्तकों, समाचार-पत्रों, सूचनाओं आदि का अध्ययन करे और उनकी मूल पवित्र पुस्तकों एवं उपदेशों आदि से तुलना करे कि दोनों में क्या और कितना अंतर है? वह, एक ओर यह पता लगाए कि मूल धर्म से आतंककारी किस सीमा तक दूर चले गए है? दूसरी ओर यह भी जांचे कि ये आतंककारी सिद्धांत एवं व्यवहार में राज्य और समाज प्रदत्त सीमाओं का कहां-कहां उल्लंघन करते है? इस जांच से आतंकियों के आपराधिक इरादों एवं कृत्यों का पता लग सकेगा।

उक्त विशेषज्ञ-मंडलों के निष्कर्षों अथवा सामान्य कानूनी घोषणा को विश्व-समुदाय अर्थात् संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के समक्ष विचारार्थ रखा जाए। इसे पूर्ण बहुमत से पारित करके सभी देशों पर लागू किया जाएगा। यह सुरक्षा परिषद का दायित्व होगा कि राज्यों, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों एवं संगठनों के माध्यम से उन पारित प्रावधानों को क्रियान्वित कराए।

यही नहीं, आतंकवाद के विरुद्ध कदम उठाने के लिए सभी जागरुक लोग एकजुट एवं निश्चित होकर कदम उठा सकें। इसके लिए राज्य, संयुक्त राष्ट्र तथा अन्य सभी सार्वजनिक संस्थाओं को आतंककारी मामलों को प्रकाश में लाना चाहिए।

धार्मिक कट्टरता एवं आतंकवाद विरोधी कानूनों को राज्यों, चाहे वे धर्म-निरपेक्ष हो या धर्म-सापेक्ष, के द्वारा अपने-अपने संविधान में शामिल कर लेना चाहिए। विश्व समुदाय एक राज्य को तभी मान्यता प्रदान करे जब वह ऐसे प्रावधान को कानून बनाकर स्वीकार तथा कार्यान्वित करे। ऐसे देशों से जो अपने संविधान में 'कट्टरता विरोधी कानून' शामिल नहीं करें, आने वाले व्यक्तियों को या तो सुरक्षा कारणों से उस देश में प्रवेश नहीं करने दिया जाए अथवा उन पर कड़ी निगरानी रखी जाए। प्रत्येक देश में कट्टरता-विरोधी होने का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना नागरिकता प्राप्त करने की पूर्व शर्त हो।

व्यवस्था की दृष्टि से, विशिष्ट क्षेत्रों में आतंकवाद के विशेष रूपों को मिटाने के कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय इकाइयों, क्षेत्रीय निकायों और राज्यों को अधिकृत किया जा सकता है। ये अपने कार्यों की सूचना सुरक्षा परिषद को स्वीकृति एवं आगे अगली कार्यवाही करने के लिए भेज सकते है। संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए राज्यों के संघ बनाए जा सकते है। उन्हें कार्रवाई करने के लिए अधिकार सौंपे जा सकते है।

यदि आतंकवाद का उन्मूलन करने की दिशा में राज्यों एवं विश्व-समुदाय के द्वारा ऐसे कानून बनाए जाएंगे तो उनके क्रियान्वयन से कट्टरवाद, आतंकवाद आदि को बढ़ावा देने, प्रशिक्षण देने, उकसाने, फैलाने या आयोजित करने से व्यक्तियों को रोका और प्रतिबंधित किया जा सकेगा। साथ ही, आतंककारी घटनाओं को घटित होने से पहले ही रोकना भी संभव हो सकेगा। इससे आंतरिक आतंकवाद के साथ बाह्य आतंकवाद भी स्वतः समाप्त हो जाएगा। भारत के लिए यह संभव हो सकेगा कि वह अपनी सीमाओं के भीतर कट्टरपंथ आधारित आतंकवाद को सदा के लिए मिटा दे। भारतीय नेताओं के लिए अभी एक अवसर है कि वे अमरीकी नेतृत्व को यह समझाएं कि यदि धर्म के नाम पर चलाए जा रहे इस आंतरिक आतंकवाद को नहीं मिटाया गया तो बाह्य आतंकवाद यथावत् बना रहेगा।